शर्तें.—

1. ग्राम बोर्डी एवं ग्राम गिरवर की सीमा पर विकास योजना में प्रस्तावित 24.00 मीटर चौड़े मार्ग का विकास मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल को करना आवश्यक होगा.

2. स्थल पर योजना का क्रियान्वयन मंडल के पक्ष में भूमि के आवंटन के उपरान्त ही किया जाये.

3. उपरोक्त उपांतरण शाजापुर विकास योजना 2021 को एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2018

क्र. एफ 13-39-2016-तेरह.—यत:, मेसर्स ट्राईडेंट ग्रुप द्वारा वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग (अब उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग) के आदेश क्रमांक एफ-16-34-2015-बी-ग्यारह, दिनांक 2 अप्रैल, 2016 द्वारा रुपये 2320.02 करोड़ के निवेश से बुदनी, जिला सीहोर में प्रस्तावित उनके मेगा इण्डस्ट्रीयल टेक्सटाईल हब को प्रदान की गई विभिन्न सुविधाओं का त्याग कर दिया गया है;

(2) अतएव, मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012) की धारा 5 के खण्ड (तीन) के उप-खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, दिनांक 15 जुलाई, 2016 को मध्यप्रदेश राजपत्र (साधारण) में प्रकाशित, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-13-39-2016-तेरह, दिनांक 2 जुलाई, 2016 को तथा इस अधिसूचना के अधीन मेसर्स ट्राईडेंट ग्रुप द्वारा प्राप्त की गई विद्युत् शुल्क से छूट, यदि कोई हो, को वापस लेते हुए विखंडित करती है.

No. F-13-39-2016-XIII.—WHEREAS, M/s Trident Group has surrendered various facilities granted vide Commerce, Industries and Employment Department's (Now Department of Industry Policy and Investment Promotion) order No. F 16-34-2015-B-XI, dated 2nd April, 2016 to their Mega Industrial Textile Hub, proposed in Budhni, District Sehore at an investment of Rs. 2320.02 Crore.

(2) Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub clause (b) of clause (iii) of Section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam, 2012 (No. 17 of 2012), the State Government, hereby, rescinds this department's notification No. F-13-39-2016-XIII, dated 2nd July 2016 published in Madhya Pradesh Gazette (Ordinary) on 15th July, 2016 and withdraws exemption from payment of electricity duty, if any, availed by M/s Trident Group under this notification.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. चतुर्वेदी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2018

क्र. 1560-2002-2018-पचास-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27 की उपधारा (1) तथा (2) [सहपठित नियम 2016 का नियम 88 (10)] द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये कॉलम (3) में उल्लेखित व्यक्तियों को बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष/सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिये पदांकित करता है :—

क्र.	जिले का नाम	आरक्षित (महिला)	(अनारक्षित) सदस्य
(1)	(2)		(3)
1	झाबुआ	-	1. श्री दीपेश सकलेचा